उपखण्ड अधिकारी [stamp partly illegible]

22.05.18 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1, मथा रसाल व कमला हाजिर सुना गया। मूल वाद 42/16 श्री कृष्ण बनाम प्रभु वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 88, 89, 92A, 209 RTAct के तहत पेश कर बंटवारा करने का निवेदन किया। प्रतिवादी का कथन है कि उसके पिता भोलू जाट के दो पुत्र व तीन पुत्रियाँ, है कमला, रसाल, सोनी, श्री सोनी की मृत्यु हो गयी। तथा उसके वारिश गोपाल, रामधन प्रधान, सिताराम पुत्र व लिता, मैना पुत्रियाँ है अतः वादि ने तथ्यो को छुपाकर गलत और झूठा वाद पेश किया है जो खारिज किया जावे।

प्र मु

अ.कि. रसाल

अ.कि. कमला

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 15.11.17 मे भी यह तथ्य अंकित है किन्तु वादी ने संसोधन प्रस्तुत नही किया है परन्तु ~~वादी को जरिये~~ लोक अदालत की भावना के दृष्टिगत उनका प्रार्थना पत्र इस आशय तक स्वीकार किया जाता है कि वे मौका और रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे। व मुल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को बॉटविभाजन अन्य को विक्रय स्थान्तरित नही करेंगे। और राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करेंगे। खर्चा फरिकैन अपना-अपना वहन करें। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निर्णायक नही है हक अधिकार का प्रश्न बाद सबूत मुल वाद में तय होगा।

आदेश मज मे आम में सुनाया गया है।

Prakash

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

(अजमेर)